[2018] 6 एस.सी.आर 693

भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य

(रिट याचिका (सिविल) सं.302/2018)

अप्रैल 09, 2018

[न्यायमूर्ति, आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति, अभय मनोहर सप्रे]

चुनाव कानून–राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना जारी की–एक राजनीतिक दल याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के समर्थकों द्वारा हिंसक प्रतिरोध के कारण उसके उम्मीदवारों को नामांकन पत्र एकत्र करने और जमा करने की अनुमति नहीं दी गई–याचिकाकर्ता ने राज्य चुनाव आयोग को इंटरनेट पर नामांकन पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की ताकि याचिकाकर्ता के उम्मीदवार ई–मेल के माध्यम से आवेदन कर सकें– इस न्यायालय द्वारा बोडुला कृष्णैया मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए–प्रश्नगत मामले में, चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसलिए न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है–इसके अलावा, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव अधिनियम राज्य चुनाव आयुक्त को किसी भी राजनीतिक दल द्वारा की गई किसी भी शिकायत के संबंध में उचित आदेश पारित करने का अधिकार देता है, या/और चुनाव और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित और उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के संबंध में किसी भी स्वतंत्र उम्मीदवार सहित उनके व्यक्तिगत उम्मीदवार–इसलिए, सभी राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों को, किसी भी स्वतंत्र उम्मीदवार सहित, अपनी किसी भी व्यक्तिगत या/और सामूहिक शिकायत के साथ राज्य चुनाव आयुक्त से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त उक्त शिकायत कर तत्काल समाधान करेगा। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव अधिनियम 2003 – भारत का संविधान– अनुच्छेद 32

पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (2013 के एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 19928–19931 में निर्णय दिनांक 28.06.2013); भरत सिंह और अन्य बनाम हरियाणा और अन्य (1988) 4 एस. सी. सी. 534:[1988] 2 पूरक।एस. सी. आर. 1050–संदर्भित। बोद्दुल्ला कृष्णैया और अन्य बनाम राज्य चुनाव आयुक्त– ए. पी. और अन्य। (1996) 3 एससीसी 416: [1996] 3 एससीआर 687–पर आधारित।

<u>निम्न विधि व्यवस्थाएँ संदर्भित हैं–</u>

[1988] 2 पूरक एस. सी. आर. 1050 संदर्भित पैरा 7

[1996] 3 एससीआर 687 पैरा 11 पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) सं. 302/2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

मुकुल रोहतगी, पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, कबीर शंकर बोस, पार्थ घोष, नचिकेता जोशी, शुभंकर चक्रवर्ती, अरिजीत मजूमदार, एस. दत्ता, भरत सूद, कल्लोल गुहा ठाकुरता, शम्बा दत्ता, सुश्री सुकन्या दत्ता, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।तुषार मेहता, ए. एस. जी., डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, अमरेंद्र सरन, V.Giri, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुहान मुखर्जी, हर्ष हीरू गुशाहानी, सिद्धार्थ कलीता, सुश्री आस्था शर्मा (पी. एल. आर. चैम्बर्स एंड कंपनी के लिए), रजत नायर, सुश्री नूपुर शर्मा, रोहित भट (बी. वी. बलराम दास के लिए), अधिवक्ता प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का आदेश **न्यायाधिपति, आर. के. अग्रवाल** द्वारा पारित किया गया था

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर वर्तमान रिट याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग–प्रत्यर्थी संख्या 6 को याचिकाकर्ता के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र जारी करने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य रिट की मांग करता है ताकि वे आगामी पंचायत चुनावों में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकें और साथ ही ईमेल के माध्यम से नामांकन पत्र जमा करने की व्यवस्था करने के लिए तत्काल कदम उठा सकें और याचिकाकर्ता के उम्मीदवारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान कर सकें ताकि वे पहले से ही अधिसूचित पंचायत चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नामांकन पत्र एकत्र कर सकें और जमा कर सकें और प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 को पश्चिम बंगाल राज्य में पंचायत चुनावों के संचालन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को बुलाने का भी निर्देश दें।

2. हमने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण श्री मुकुल रोहतगी और श्री पी. एस. पटवालिया, प्रत्यार्थीगण संख्या 1 से 4 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ॰ अभिषेक मनु सिंघवी और श्री अमरेंद्र सरन, तथा प्रत्यर्थी संख्या 7 की ओर विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता को सुना।

3. टाइम्स ऑफ इंडिया, कोलकाता संस्करण दिनांक 3.04.2018 और 4.04.2018 में प्रकाशित समाचार पत्रों की रिपोर्टों, स्टेट्समेन, कोलकाता संस्करण दिनांक 4.04.2018 और टेलीग्राफ ई–पेपर पूर्वावलोकन पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के उम्मीदवार जो पश्चिम बंगाल राज्य में होने वाली पंचायत के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें सत्तारूढ़ दल के समर्थकों द्वारा किए जा रहे हिंसक प्रतिरोध के कारण नामांकन पत्र एकत्र करने और जमा करने की अनुमति नहीं है।

4. इसके समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारे सामने एक चार्ट रखा जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के संबंध में 04.04.2018 तक की संचयी नामांकन रिपोर्ट दिखाई गई है।

5. इस स्तर पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 2013 के एसएलपी (सी) संख्या 19928–19931 में पारित एक निर्णय दिनांकित 28.06.2013 पर भरोसा किया, जिसका शीर्षक था पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य. अदालत को यह समझाने के लिए कि पहले भी जब

पश्चिम बंगाल राज्य में वर्ष 2013 में पंचायत चुनाव होने थे, तब इस न्यायालय ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और चुनावों को फिर से निर्धारित करने का निर्देश दिया।

6. इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राज्य चुनाव आयोग को इंटरनेट पर नामांकन पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाए, जिन्हें याचिकाकर्ता के उम्मीदवारों के साथ–साथ अन्य सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा इंटरनेट पर डाउनलोड, भरा और जमा किया जा सकता है, जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं।

7. हालाँकि, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका न तो किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार द्वारा दायर की गई है और न ही यह दिखाने के लिए कोई विवरण दिया गया है कि किसी भी उम्मीदवार को नामांकन पत्र प्राप्त करने और दाखिल करने से किसी ने रोका है।इस प्रकार, भरत सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य(1988)4 SCC 534 के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए रिट याचिका स्वतः संधार्य नहीं पायी जाती है।

8. इसके अलावा, बोद्दुला कृष्णैया और अन्य बनाम राज्य चुनाव आयुक्त– ए. पी. और अन्य (1996) 3 एससीसी 416 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि –

> "।11.इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, हालांकि उच्च न्यायालय एक रिट याचिका पर विचार कर सकता है या पहले ही उस पर विचार कर चुका है, चुनाव अधिकारी को कार्यवाही को रोकने या चुनाव प्रक्रिया को नए सिरे से संचालित करने का निर्देश देते हुए चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा, विशेष रूप से जब चुनाव पहले ही हो चुका है जिसमें मतदाताओं को कथित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोका गया था।जैसा कि देखा गया है, वह विवाद एक चुनावी विवाद के दायरे में आता है और इस प्रकार निवारण के लिए कानून में उपाय उपलब्ध है।"

प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए इस अदालत को ऐसा कोई निर्देश पारित नहीं करना चाहिए जो चुनावों को प्रभावित कर सके।उनके अनुसार, राज्य चुनाव आयोग इन सभी शिकायतों को देखने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण है और वास्तव में 05.04.2018 को, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने के लिए अतिरिक्त स्थान प्रदान करते हुए अधिसूचना संख्या 632–SCC/3E–30/2018 जारी की थी।

9. विद्वान अधिवक्ता श्री तुषार मेहता ने तर्क प्रस्तुत किया कि यदि राज्य चुनाव आयोग अनुरोध करता है या इस न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी किया जाता है तो प्रत्यर्थी संख्या 7 अर्धसैनिक बल प्रदान करने की व्यवस्था कर सकता है।

10. जवाब में, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पैराग्राफ 6 (ओ) की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें एक विशिष्ट उल्लेख किया गया है, जिसमें नामांकन दाखिल करने गए व्यक्ति को बुरी तरह पीटा गया था और चोटों के कारण उसकी मौत हो गई थी।

11. हमने पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है।यह विवाद में नहीं है कि पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए अधिसूचना 02.04.2018 जारी की थी।इस प्रकार, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है।इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, बोडुला कृष्णैया (उपरोक्त) के मामले में, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हम हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।हालाँकि, तथ्य यह है कि समाचार पत्र ए के अनुसार रिट याचिका के साथ दायर की गई रिपोर्ट जो याचिकाकर्ता द्वारा हिंसा की घटनाओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा संदर्भित की गई है, तब हुई है जब उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र प्राप्त करने और दाखिल करने गए हैं।यह पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.04.2018 के साथ भी मजबूत है जहां राज्य चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अतिरिक्त स्थान प्रदान किया था।

12. योजना के अवलोकन और पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव अधिनियम, 2003 ("अधिनियम" की संक्षिप्तता के लिए) के प्रावधानों से हम पाते हैं कि अधिनियम ने राज्य चुनाव आयुक्त को चुनाव और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित और उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के संबंध में किसी भी राजनीतिक दल, या/और किसी स्वतंत्र उम्मीदवार सहित उनके व्यक्तिगत उम्मीदवार द्वारा की गई किसी भी शिकायत के संबंध में उचित आदेश पारित करने का अधिकार दिया है।

13. इसलिए, यह अनिवार्य रूप से राज्य चुनाव आयुक्त के लिए है कि वह किसी भी पक्ष या/और उम्मीदवार द्वारा एक बार की गई शिकायत पर विचार करे और की गई शिकायत की प्रकृति और चुनाव और इसकी प्रक्रिया से संबंधित प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित करे।

14. इसलिए, हम सभी राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों, जिनमें कोई भी स्वतंत्र उम्मीदवार भी शामिल है, को अपनी किसी भी व्यक्तिगत या/और सामूहिक शिकायत के साथ राज्य चुनाव आयुक्त से संपर्क करने की स्वतंत्रता देकर इस याचिका का निपटारा करने के लिए इच्छुक हैं।

15. यदि ऐसी कोई शिकायत किसी भी राजनीतिक दल या/और किसी भी उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में की जाती है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य चुनाव आयुक्त संबंधित पक्ष द्वारा की गई ऐसी किसी भी शिकायत का कानून के अनुसार सख्ती से निपटान सुनिश्चित करेगा।

16. हम आशा और विश्वास करते हैं कि पंचायतों के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, राज्य चुनाव आयोग याचिकाकर्ता और/या इच्छुक उम्मीदवारों की आशंकाओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएगा और वे पंचायत चुनाव लड़ने के अपने अवसर से वंचित नहीं होंगे।उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

रिट याचिका का निस्तारण किया गया।

Jai Shankar Mishra